

महिला ऐच्छिक ब्यूरो के प्रयास से दो दंपति साथ- साथ रहने को हुए राजी-

मऊ । महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान के निर्देशन और सीओ मधुबन राजकुमार सिंह की देखरेख तथा सीओ लाइन नितिन कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें कुल आठ मामले आए, जिसमें परामर्श केंद्र के सदस्यों के प्रयास से तीन मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें दो दंपति अपने सभी मतभेद भुलाकर साथ - साथ रहने को तैयार हो गए। वही दो मामलों में एक- एक पक्षकार उपस्थित हुए तथा तीन मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 22 नवंबर नियत कर अनुपस्थित पक्षकारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया।

महिला ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से पूजा सिंह और अजय बहादुर सिंह तथा निकहत परवीन और इस्माइल ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ साथ रहने को तैयार हो गए। वही रशिदा खातून और जमशेद का मामला पक्षकारों की सहमति से निस्तारित कर दी गई। वही सुनीता यादव और जयप्रकाश तथा सुनीता और श्यामकरन के मामले में एक-एक पक्ष उपस्थित हुआ। वही मंजू और श्रवण कुमार, रोहित गुप्ता और रिन्कू गुप्ता तथा अनुराधा और अखिलेश के मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 22 नवंबर नियत कर अनुपस्थित पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यगण विनोद कुमार सिंह, मौलवी अरशद, तथा महिला आरक्षी सोनी सिंह और प्रीति दुबे ने योगदान दिया। बैठक में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन तथा सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए बैठक की गई। बैठक में काफी संख्या में पक्षकार और उनके परिजन उपस्थित रहे।

17 शीशी अवैध देशी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार-

थाना घोसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मधुबन तिराहे के पास से सुखसागर निवासी पकड़ीमोड़ बड़गांव थाना घोसी के कब्जे से 17 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 903/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 16 व्यक्ति गिरफ्तार-

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 08.11.2020 को देखभाल क्षेत्र के दौरान, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सुशील, विधानचंद, जयचंद निवासीगण चक अहिरानी थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा सत्यपाल, संदीप, राजेदव निवासीगण इटौरा थाना हलधरपुर, थाना घोसी पुलिस द्वारा केशव निवासी माउनबोझ थाना घोसी, थाना मधुबन पुलिस द्वारा जयनाथ निवासी मधुबन, रेयाज अहमद, इसराज निवासीगण दरगाह, भोलानाथ व अखिलेश निवासीगण परसूपुर मुबारकपुर थाना मधुबन व थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा सोबिन, बालदत्त व श्रीमती प्रेमशिखा निवासीगण बसारथपुर, राकेश निवासी सलेमपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 08.11.2020 को यातायात माह नवम्बर –2020 में यातायात प्रभारी संतोष यादव, हमराह एचसीपी रमेश कुमार, हे0का0 सुनील सिंह, हे0का0 रमेश चन्द्र शुल्का, का0 प्रवीण कुमार गुप्ता, का0 अरविन्द कुमार सिंह, होम गार्ड अनिल कुमार ,होम गार्ड अमीर चन्द्र , हो0गा0 रविन्दर , पी0आर0डी0 जगजीवन, पी0आर0डी0 मुन्ना गौड़ के साथ बाल निकेतन, टी0सी0आई0 मोड़, भीटी चौक, बलिया मोड़, मुंशीपुरा ओवर ब्रिज, मिर्जाहादिपुरा, डेकुलिया घाट पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन वाहन चालक/स्वामी का, सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना रजिस्ट्रेशन, डी0एल0, इंशोरेन्स, फिटनेस विना हेलमेट, सीट बेल्ट, गलत नम्बर प्लेट में कुल 90 वाहनो का चालान किया गया तथा 03 वाहन को पेपर न होने की वजह से सीज किया गया। जिसमें विना हेलमेट के 40, सीट बेल्ट-10, गलत नम्बर प्लेट पर 12, बिना डी0एल0 18, मोबाईल फोन –06 तथा ध्वनि प्रदूषण में –04 चालान की कार्यवाही की गयी तथा यातायात माह नवम्बर –2020 लिखे हुए शहर के प्रमुख चौराहों/तिराहों पर आम नागरिक व चालको हेतु सामान्य निर्देश/जागरूकता हेतु होल्डिंग लगवाये गये।